रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266744
CG-DL-E-07102025-266744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4418] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
No. 4418] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4546(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2818(अ) तारीख 24/06/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में पश्चिम बायपास के कि.मी. 20.900 से कि.मी. 28.516 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घाटीगांव जिला ग्वालियर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"27/06/2025"** को **"दैनिक भास्कर"** और **"टाइम्स ऑफ़ इंडिया"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ; जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में पश्चिम बायपास के कि.मी. 20.900 से कि.मी. 28.516 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घाटीगांव जिला ग्वालियर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			**जिले का नाम: ग्वालियर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: घाटीगांव					
गांव का नाम: पनिहार					
1	112/3	निजी	सिंचित/व्यपरिवर्तित	0.219	कल्याण सिंह पुत्र गजाधर सिंह
2	900	निजी	सिंचित	0.054	कमलादेवी बेवा रामसिंह, कृष्णराज, हरीश पुत्रगण रामसिह तामेश पुत्री रामसिंह, ज्योति बेवा नवीनराज सोलंकी, मोहित नाबालिग पुत्र नवीनराज सोलंकी संरक्षक मां ज्योति, मोहिता नाबालिक पुत्री नवीनराज सोलंकी संरक्षक मां ज्योति
गांव का नाम: रायपुर					
3	673	सरकारी	असिंचित	0.0113	लो0नि.वि0 शासकीय
4	674	सरकारी	असिंचित	0.072	लो0नि.वि0 शासकीय

5	704/2	निजी	सिंचित	0.0175	चन्द्रभान पुत्र हरकिशन
6	706/1	निजी	सिंचित	0.0258	गीताबाई बेवा बलराम, कृष्णासिंह, संजीव, दिलीप पुत्रगण बलराम
7	707/2	निजी	सिंचित	0.129	चन्द्रभान पुत्र हरकिशन
8	709	निजी	सिंचित	0.045	राजवीर सिंह भदौरिया पुत्र शिवराज सिंह
			कुल योग	**0.5736**	

[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0001/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4546(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2818(E) Dated:24/06/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Western Bypass of Gwalior in the stretch of land from Km. 20.900 to Km. 28.516 (Office of the Sub Divisional Officer, Revenue Ghatigaon) in the district of GWALIOR in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Dainik Bhaskar**" and "**Times of India**" both dated **27/06/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Western Bypass of Gwalior in the stretch of land from Km. 20.900 to Km. 28.516 (Office of the Sub Divisional Officer, Revenue Ghatigaon) in the district of GWALIOR in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			**District: GWALIOR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ghatigaon					
Village: Panihar					
1	112/3	Private	Irrigated/Diverted	0.219	Kalyan singh Son gajadhar singh
2	900	Private	Irrigated	0.054	Kamladevi Widow Ramsingh, Krishnaraj, Harish Sons Ramsingh, Tamesh Doughter Ramsingh, Jyoti Widow Navinraj Solanki, Mohit Na.Ba. Son Navinraj Solanki Guardian Mother Jyoti, Mohita Na.Ba. Doughter Navinraj Solanki Guardian Mother Jyoti
Village: Raipur					
3	673	Government	Unirrigated	0.0113	PWD Government
4	674	Government	Unirrigated	0.072	PWD Government
5	704/2	Private	Irrigated	0.0175	Chandrabhan Son Harkishan
6	706/1	Private	Irrigated	0.0258	Geetabai Bewa Balram, Krishna Singh, Sanjeev, Dilip Sons Balram
7	707/2	Private	Irrigated	0.129	Chandrabhan Son Harkishan
8	709	Private	Irrigated	0.045	Rajveer Singh Bhadoria Son Shivraj Singh
			Total	**0.5736**	

[F. No. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0001/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA